He Gazette of India

असाबारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98] No. 98]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 27, 2004/ज्येष्ठ 6, 1926 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 27, 2004/JYAISTHA 6, 1926

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद

अविस्वना

नई दिल्ली, 26 मई, 2004

सं. एस.सी.आई. 211(2)2004(नैविकता).—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956(1956 का 102) की धारा 33(ड) के साथ पठित धारा 20क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्वस्वीकृति, से, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (वृत्तिक आचरण, शिष्टाचार तथा नैतिकता) विनियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

- (1) **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :** (i) ये विनियम, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (वृत्तिक आचरण, शिष्टाचार तथा नैतिकता) (संशोधन) विनियम, 2004 कहे जाएंगे।
 - (ii) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- (2) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (वृत्तिक आचरण, शिष्टाचार तथा नैतिकता) विनियम, 2002 में, अध्याय 8 में विनियम 8.6 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा गया है :

''8.7 जहां अनुरोध पर या अन्यथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को सूचित किया जाता है कि राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् ने दोषी फिजिशियन के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने की तारीख सं. 6 माह की कालावधि में इस संबंध में निर्णय नहीं लिया है और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के पास ऐसे विश्वसनीय कारण हैं कि उक्त विहित अवधि में शिकायत संबंधी निर्णय न लिए जाने के औचित्यपूर्ण कारण नहीं है तो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्—

- (i) संबंधित राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् को समयबद्ध अनुसूची में शिकायत के निष्कर्ष व निर्णय करने के लिए कह सकती है ;
- (ii) संबंधित राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् जिसके पास उक्त शिकायत लंबित पड़ी है, उससे सीधे ही ले ले या फिर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा उपर्युक्त पैरा (i) में विहित की गई कालाविध की समाप्ति के उपरान्त मंगवा ले और परिषद् की नैतिकता समिति को परिषद् में शिकायत प्राप्ति की तारीख से 6 माह की कालाविध से अनिधिक समय में निपटान हेतु भेज दे।
- 8.8 कोई भी व्यक्ति जो दोषी फिजिशियन के विरुद्ध शिकायत विषयक राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् के निर्णय से व्यथित है उसे, राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा पारित आदेशों की प्राप्ति को तारीख से 60 दिन की कालाविध में, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा :

परन्तु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, यदि संतुष्ट है कि अपीलकर्त्ता को उपरिकथित 60 दिन की कालावधि के अन्दर अपील दायर करने से रोका गया है तो वह और अगले 60 दिनों के अन्दर अपील दायर करने की अनुमित दे सकती है।''

ले. कर्नल, डॉ. ए. आर. एन. सेतलवाड (सेवा निवृत्त), सविच

[विज्ञापन-III/IV/असा./100/04]

पाद टिप्पणी: मूल विनियम अर्थात् ''भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (वृत्तिक आचरण, शिष्टाचार तथा नैतिकता) विनियम, 2002'' भारत के राजपत्र भाग 3, खण्ड 4 में 6 अप्रैल, 2002 को प्रकाशित हुए थे और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की अधिसूचना द्वारा संशोधित किए गए जो भारत के राजपत्र में 22-2-2003 को प्रकाशित हुई।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 2004

No. MCI-211(2)2004-(Ethical).—In exercise of the powers conferred under Section 20A read with Section 33(m) of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous approval of the Central Government, hereby markes the following amendments to the Indian Medical Council (Professional conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002, namely:—

- (1) Short Title and Commencement: (i) These Regulations may be called the Indian Medical Council (Professional conduct, Etiquette and Ethics) (Amendment) Regulations, 2004.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (2) In the Indian Medical Council (Professional conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002, after the regulation 8.6 appearing under Chapter 8, the following regulations shall be added:
 - "8.7 Where either on a request or otherwise the Medical Council of India is informed that any complaint against a delinquent physician has not been decided by a State Medical Council within a period of six months from the date of receipt of complaint by it and further the MCI has reason to believe that there is no justified reason for not deciding the complaint within the said prescribed period, the Medical Council of India may—
 - (i) Impress upon the concerned State Medical Council to conclude and decide the complaint within a time bound schedule;
 - (ii) May decide to withdraw the said complaint pending with the concerned State Medical Council straightaway or after the expiry of the period which had been stipulated by the MCI in accordance with para (i) above, to itself and refer the same to the Ethical Committee of the Council for its expenditious disposal in a period of not more than six months from the receipt of the complaint in the office of the Medical Council of India.
- 8.8 Any person aggrieved by the decision of the State Medical Council on any complaint against a delinquent physician, shall have the right to file an appeal to the MCI within a period of 60 days from the date of receipt of the order passed by the said Medical Council:
 - Provided that the MCI may, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from presenting the appeal within the aforesaid period of 60 days, allow it to be presented within a further period of 60 days."

Lt. Col. (Retd.) Dr. A. R. N. SETALVAD, Secy.

[ADVT-III/IV/Extraordinary/100/04]

Foot note: The Principal regulations, namely "Indian Medical Council (Professional conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002" was published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on 6th April, 2002 and amended *vide* MCI notification published in Part III Section 4 of the Gazette of India on 22-2-2003.